



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)


क्रमांक/परीक्षा 2017/5154

दिनांक 09-06-2017

संशोधित सूचना

परीक्षा मई-जून 2017 के समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक/प्रायोगिक अंक ऑनलाइन भरने के दिशा निर्देश एवं अंतिम तिथियां परिपत्र क्रमांक 4973 दिनांक 25-04-2017 के द्वारा जारी किये गये थे। आंतरिक अंको की प्रविष्टि हेतु तिथि दिनांक 02/06/2017 तक बढ़ाई गई थी।

जिन संस्थाओं के आंतरिक/प्रायोगिक अंक **Fill But Not Send to MCRPV**, श्रेणी में है किन्तु **Sent to MCRPV** नहीं हो पाये है उनके लिए एमपीऑनलाइन लि. के पोर्टल पर लिंक दिनांक 09-06-2017 से 11-06-2017 तक खोली जा रही है। इस श्रेणी की सभी संस्थाओं से आंतरिक/प्रायोगिक अंक (जो पहले ही भरे जा चुके हैं) रुपये 100/- प्रति प्रविष्टि के आर्थिक दण्ड के साथ स्वीकार किये जायेंगे। आर्थिक दण्ड एमपीऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही लिया जायेगा। ऐसी अध्ययन संस्थाएँ अर्थिक दण्ड ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें।

(  
(डॉ. राजेश पाठक)  
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन क्र./परीक्षा 2017/5154

दिनांक 09-06-2017

प्रतिलिपि

- समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त प्रभारी, खंडवा परिसर, नोयडा परिसर, ग्वालियर, शीवा एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त प्रभारी, संवद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संचालक, एमपी ऑनलाइन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर अपलोड करने हेतु।

(  
(डॉ. राजेश पाठक)  
परीक्षा नियंत्रक